उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 19/2017/04(2)/41-2017-71 यो0/2016

लखनऊ दिनांक 28 मार्च 2017

<u>संख्या- 14/2017/232/41-2017-22 यो0/2016 का शुद्धि-पत्र</u>

भारत सरकार के प्रसाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी की योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किश्त के रूप में प्रदान की गयी स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 14/2017/232/41-2017-22 यो0/2016 दिनांक 23 मार्च, 2016 में त्रुटिवश निर्गत किये जाने के दिनांक में वर्ष 2017 के स्थान पर वर्ष 2016 अंकित हो गया है।

2- अतः उपर्युक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उक्त शासनादेश के निर्गत होने का अंकित दिनांक 23 मार्च, 2016 के स्थान पर 23 मार्च, 2017 पढा जाय। उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव।

<u>संख्या-19/2017/232(3)/41-2017 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- मुख्य अभियन्ता, (सोन) सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी।
9- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी इकाई-2, वाराणसी।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।